परिशिष्ट
परिशिष्ट 1 (संदर्भ पैराग्राफ 1.5)

लेखापरीक्षित ईकाई की संगठनात्मक संरचना

1. वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग (डीओआर) सचिव (राजस्व) के समग्र दिशानिर्देश और नियंत्रण में कार्य करता है, केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अंतर्गत गठित केन्द्रीय उत्पादशुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीईसी) और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) नामक दो सांविधिक बोर्डों के माध्यम से सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संघ कर का समन्वय किया जाता है।

2. इसके अतिरिक्त, डीओआर पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (संघ के कार्यक्षेत्र के अंदर पडने वाली सीमा तक), केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956, नशीली दवाओं और मादक पदार्थों अधिनियम 1985 (एनडीपीएसए), तस्करों और विदेशी मुद्रा हेरफेर (सम्पत्ति जब्ती) अधिनियम, 1976 (सफेम (एफओपी) ए), विदेशी मुद्रा प्रबन्धन अधिनियम,1999 (फेमा) और विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि विरोधी अधिनियम 1974 (कोफेपोसा), काले धन को वैध बनाने से रोकने के अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) और खुफिया, प्रवर्तन, लोकपाल और अर्धन्यायिक कार्य के सम्बद्ध/अधीनस्थ और अर्धन्यायिक कार्य के सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों का उत्तरदायित्व भी है।

केन्द्रीय उत्पादशुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड,

3. केन्द्रीय उत्पादशुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीईसी) निम्नांकित लक्ष्य से सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पादशुल्क और सेवाकर कानून और पद्धति के मामले देखता हैः

क. स्वच्छ, न्याय संगत, पारदर्शी और दक्ष तरीके से राजस्व की वसूली

ख. एक कार्यक्रम ढंग से सरकार के आर्थिक, कराधान ओर व्यापार नीतियों का प्रशासन

ग. सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पादशुल्क और सेवा कर की प्रक्रियाओं को सुप्रवाही और सरल बना कर व्यापार और उद्योग को सहायता करना और भारतीय व्यापार की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करना।

घ. माल, सेवाओं और बौद्धिक सम्पदा के सीमा पर संचलन पर नियंत्रण को सुनिश्चित करना

ड.. सूचना और मार्गदर्शन प्रदान कर स्वैच्छिक अनुपालन का वातावरण सृजित करना

वाणिज्यिक विभाग

4. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के त्वरित विकास के लिए वातावरण और आधारिक संरचना को समर्थ बनाने में विभाग की अहम भूमिका होती है। विभाग विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के कार्यान्वयन और निगरानी को सूत्रबद्ध करता है जोकि व्यापार को बढ़ावा देने जिसे इनके आरएफडी के अनुसार मापा जाता है हेतु अनुपालन किए जाने वाले आधारभूत ढ़ाँचे और नीति प्रदान करता है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था दोनो में उभरते आर्थिक परिदृश्य का ख्याल रखने के लिए आवश्यक परिवर्तनो को शामिल करने हेतु आवधिक रूप से व्यापार नीति की समीक्षा की जाती है। इसके अलावा, विभाग को व्यापार करार, वाणिज्यिक संबंधों, विशेष आर्थिक जोन, राज्य व्यापार, निर्यात को बढ़ावा देने और व्यापार सहायता तथा कुल निर्यात उन्मुख उद्योगों ओर वस्तुओं के उत्तरदायित्व

भी सौपे गए है। विभाग के पास विभिन्न सम्बद्ध कार्यालय, अधीनस्थ कर्यालय/संगठन अर्थात महानिदेशक विदेश व्यापार (डीजीएफटी), महानिदेशक, एंटी-डंपिंग एंड एलायड ड्यूटीज (डीजीएडी) और विकास आयुक्त, विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) का कार्यालय है।

परिशिष्ट-2 (संदर्भ पैराग्राफ 1.5)

टैरिफ नीति और अंतिम एक दशक में वातावरण

1. 1980 के मध्य में, सीमाशुल्क की टैरिफ दरें काफी उच्च थीं और संरचना जटिल थी। सरकार ने अपनी दीर्घावधि राजकोषीय नीति (एलटीएफपी-1985-86) में टैरिफ कम करने, कुछ पर लागू करने और अधिक समान दरों, आयात पर लगे मात्रात्मक प्रतिबंधों को कम करने और अंततः समाप्त करने पर बल दिया। इसमें चुनिंदा विशिष्ट उद्योगों जैसे पूंजीगत माल, दवा बनाने वाली सामग्री और बिजली का सामान के लिए दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए लागू किया गया हालांकि एलटीएफपी सिफारिशों के वितरित, राजस्वीय कारणों के कारण बढता रहा, भारित औसत दर 1980-81 के 38 प्रतिशत से बढकर 1989-90 में 87 प्रतिशत हो गई। 1990-91 तक, टैरिफ संरचना 0 से 400 प्रतिशत के बीच रही। आयात का 10 प्रतिशत से अधिक टैरिफ का 120 प्रतिशत या अधिक देने के लिए अध्यधीन है। सीमा शुल्क कर नीति में विभिन्न विशिष्ट हित समूहों का प्रभाव दर्शाते हुए, बजटीय प्रक्रिया के बाहर जाकर व्यापक छूट प्रदान की गई, जिसने प्रणाली को और अस्थाई बना दिया।

बॉक्स 2: भारत में टैरिफ नीति परिवर्तनों का सार

<u>वि.व. 1997</u>

टैरिफ का स्थान क्यूराज़ ने ले लिया। अधिकतम टैरिफ 1990/91 के 400% से 1994 में 65%, 1995 में 50% तक, उसी समयावधि में औसत शुल्क 50% से 27% तक कम कर दिये गये।

<u>वि.व. 2005</u>

अधिकतम टैरिफ दर वि.व. 90 में 355% से वि.व. 97 में 45%, वि.व. 99 में 40%, वि.व. 2000 में 35% (10% अधिशुल्क के साथ 38.5%) तक कम कर दी गई।

आयातों पर मात्रात्मक प्रतिबंधों के वि.व. 92 में भिन्न स्तरों से हटाना शुरू करके, वि.व. 01 में अंतत पूरी तरह समाप्त कर दिया गया।

औद्योगिक वस्तुओं हेतु टैरिफ दरों को वि.व. 92 में 80% के भारित औसत से वि.व. 05 में लगभग 20% तक कम कर दिया गया; वि.व. 09 तक एसियन स्तरों (10%) तक लाया गया।

2. मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से सीमा शुल्क पर ध्यान केंद्रित हैः

क कुल कर राजस्वों में वृद्धि की आवश्यकता।

ख देशों में महत्वपूर्ण इनपुटस के भुगतान हेतु विदेशी मुद्रा कमाने के लिए आयात को बढावा देना।

ग उपभोक्ता संरक्षण।

घ घरेलु उद्योग के लिए विकल्प और सुरक्षा आयात।

प्रतिबंधित मदों के अवैधानिक व्यापार पर नियंत्रण।

3. 1991-92 की शुरूआत में जब गैर-कृषि वस्तुओं पर सभी शुल्क 150 प्रतिशत से ऊपर थे, को आयात करों के सुधार से इस स्तर तक कम कर दिया गया था। यह उच्चत्तम दर अगले चार वर्षों में 50 प्रतिशत, और फिर 1997-98 में 40 प्रतिशत तक, 2002-03 में 30 प्रतिशत, 2003-04 में 25 प्रतिशत, 2004-05 (जनवरी 2004) में 20% प्रतिशत, 2005-06 में 15 प्रतिशत, 2006-07 में 12.5% तक और अंततः 2007-08 में 10% तक कम कर दी गई। यह देखना भी महत्वपूर्ण है कि कटौतियां डब्ल्यूटीओ की अपेक्षाओं के अनुसार अधिदेशित नहीं किया गया है क्योंकि भारत में लागू दरें निश्चित दरों से भी काफी नीचे हैं। और करों में कमी कुछ अनिश्चित मदों के लिए भी की गई है। नीचे दी गई तालिका से यह विस्तृत विवरण मिलता है कि टैरिफ के मामलों में हमारी स्थिति क्या है।

देश-वार टैरिफ दरें (सीबीडी, प्रतिकारी शुल्क का छोड़कर)

देश	औसत	टीडब्ल्यूए	बाध्यकारी कवरेज
इंडिया	13	6.9	73.8
अर्जेंटीना	12.6	12.2	100
आस्ट्रेलिया	2.8	3.9	97.1
ब्राजील	13.7	10	100
कनाडा	3.7	3.4	99.7
मलेशिया	8.0	5.1	84.3
पाकिस्तान	13.9	9.8	98.7
सिंगापुर	0	0	100
संयुक्त राज्य अमेरिका	3.5	2.0	2.1

स्त्रोतः डब्ल्यूटीओ विश्व टैरिफ रूपरेखा 2011 (सभी आंकडें % में हैं)

4. 10% के गैर-कृषि के उच्चतम टैरिफ और 9.1% के साधारण औसत (8 अंकों में) के साथ हम इस श्रेणी में उच्चतर टैरिफ स्तरों के अपेक्षाकृत एसियान देशों में प्रचलित टैरिफ तक पहुँच गये हैं। उद्योग और सेवाओं में कुशलता और प्रतियोगितात्मकता के लाभ आयातकों के साथ साथ निर्यातकों के साथ प्रतिस्पर्धा कर उत्पादों को स्तरीय खुला क्षेत्र प्रदान करके अधिकतम किए जा सकते हैं।

5. 36.8% के साधारण औसत पर कृषि (8 अंक) टैरिफ तुलनात्मक रूप से अधिक रहे। स्पष्ट रूप से भारत में ऐसा विद्यमान आजीविका के मुद्दों के कारण है, परंतु ऐसा मध्यम आय या उच्च आय वाले ओइसीडी देशों में नही है।

सीमा शुल्क टैरिफ दरें और आयातों का मूल्य

6. व्यापार करारों (द्विपक्षी, प्रादेशिक और बहुपक्षीय) ने टैरिफ में और कमी की। हालांकि गैर-कृषि उत्पादों के लिए सीमाशुल्क की उच्चतम दर वित्त वर्ष 08 से वित्त वर्ष 12 के दौरान 10% पर स्थिर बनी रही; फिर भी सीमाशुल्क राजस्व वृद्धि इसी समयावधि के दौरान आयातों के मूल्य की वृद्धि के अनुरूप नहीं है।

परिशिष्ट - 3 (संदर्भ पैराग्राफ 1.6)

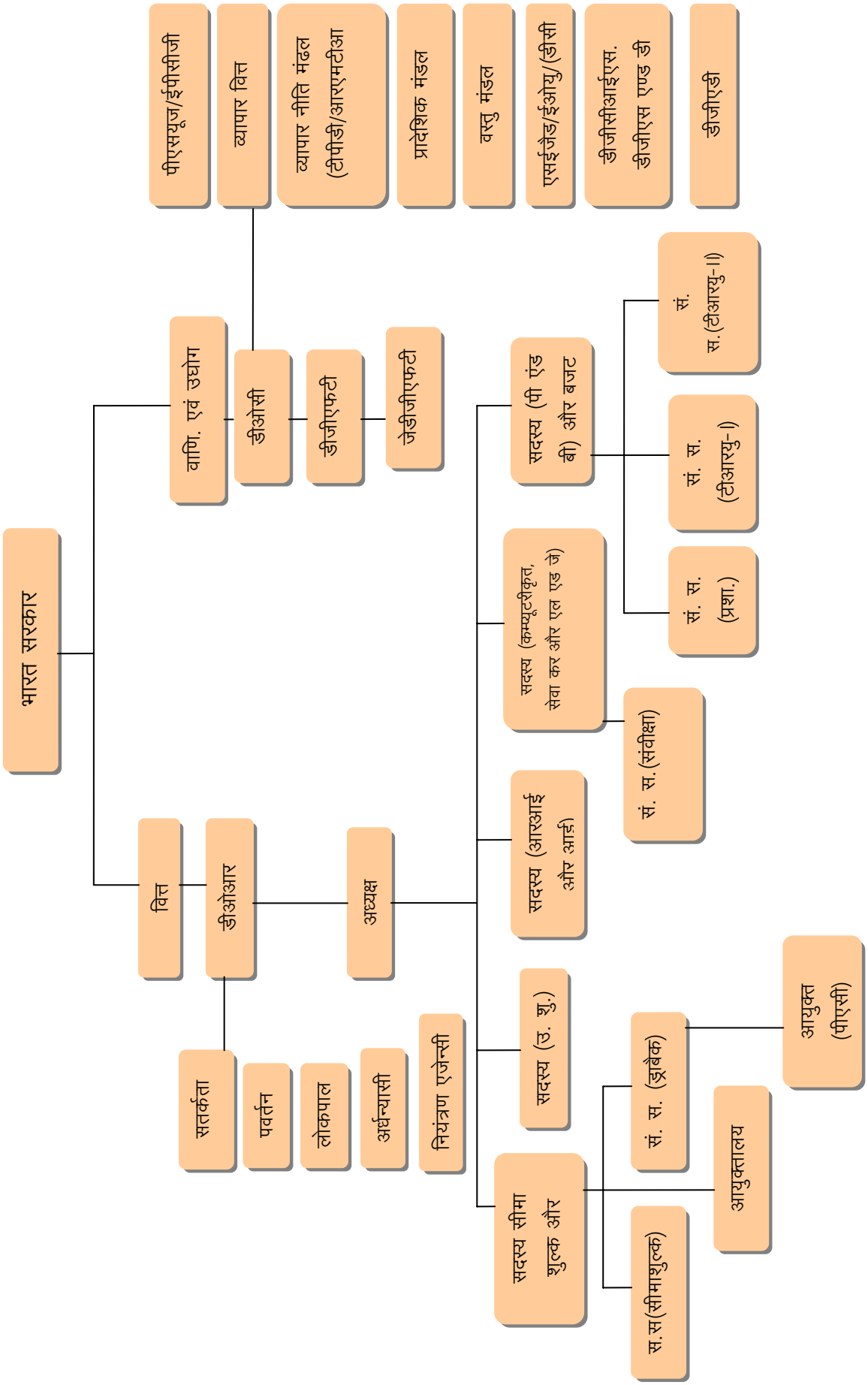

परिशिष्ट 4: (संदर्भ पैराग्राफ 1.13)

परिशिष्ट : सीमाशुल्क की उच्चतम दर आयातों का मूल्य और संग्रहित सीमाशुल्क						
वर्ष	उच्चतम कर दर	कटौती दर %	सीमाशुल्क प्राप्तियाँ (₹ करोड़)	वृद्धि दर %	आयातों का मूल्य	वृद्धि दर %
वि.व.03	30.00	5.00	44851	11.38	297206	21.21
वि.व.04	25.00	5.00	48613	8.42	359108	20.83
वि.व.05	20.00	5.00	57610	18.47	501065	39.53
वि.व.06	15.00	5.00	65067	12.94	660409	31.80
वि.व.07	12.50	2.50	86327	32.67	840506	27.27
वि.व.08	10.00	कोई परिवर्तन नहीं	104119	20.61	1012312	20.44
वि.व.09	10.00	कोई परिवर्तन नहीं	99879	-4.07	1374436	35.77
वि.व.10	10.00	कोई परिवर्तन नहीं	83324	-16.58	1363736	(-)0.78
वि.व.11	10.00	कोई परिवर्तन नहीं	135813	62.99	1683467	23.45
2011-12	10.00	कोई परिवर्तन नहीं	149876	10.35	2344772	39.28

स्त्रोतः केन्द्रीय बजट, वित्त खाते, लेखापरीक्षा रिपोर्ट

परिशिष्ट 5: (संदर्भ पैरा 1.14)

केन्द्रीय बिक्री कर

(₹ करोड़)

क्रमांक		वि.व.01	वि.व.02	वि.व.03	वि.व.04	वि.व.05	वि.व.06	वि.व.07	वि.व.08	वि.व.09	वि.व.10	वि.व.11
(i)	सीएसटी	8371	11424	11730	10457	13037	13968	16200	18613	18389	17048	19230
(ii)	एसएडी	2442	3269	लागू नही	3595	4083	लागू नहीं	लागू नही	10595	13165	14095	18288
(iii)	सीएसटी प्रतिशतता के अनुसार एसएडी	29.17	28.62	लागू नही	34.38	31.32	लागू नहीं	लागू नही	56.92	71.59	82.68	95.10

सीएसटीः {(वि.वर्ष 11 - वि.व. 01)/ वि.व. 01}* 100=129.72

दशकीय औसत सीएसटी वृद्धि= 129.72 /11=11.79

एसएडीः {(वि.व. 11-वि.व.01)/वि.व.01) } * 100=648.89

दशकीय औसत एसएडी वृद्धि=648.89/11=58.99

रेंज= वि.व.11 में 95.10-वि.व. 02 में 28.62=66.48

सीएसटी/एसएडी अनुपात में औसत वार्षिक वृद्धिः

(वि.व.11-वि.व.01)/11× वि.व.01 =0.20

परिशिष्ट 6: (संदर्भ पैरा 1.15)
केन्द्रीय उत्पाद प्राप्ति के अनुपात में वित्तीय वर्ष 01 से वि.व. 11 के दौरान सीमाशुल्क प्राप्तियों का अतिरिक्त शुल्क

(₹ करोड़)

क्रमांक		वि.व.01	वि.व.02	वि.व.03	वि.व.04	वि.व.05	वि.व.06	वि.व.07	वि.व.08	वि.व.09	वि.व.10	वि.व.11
(i)	उत्पाद शुल्क	72555	82310	90774	99125	111226	117613	123611	108613	102991	132000	138372
(ii)	सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क (सीवीडी)	16582	14409	15936	16368	22110	29750	38035	46935	46015	33435	51065
(iii)	उत्पाद शुल्क की प्रतिशत ता के अनुसार सीवीडी	22.85	17.51	17.56	16.51	19.88	25.29	30.77	43.21	44.68	25.33	36.90

(iii) का औसतः 16.51% (वि.व.04) से 44.68 तक (वि.व.09) के बीच 27% तक
मूल्य iii) का मध्यमामः 25%
मूल्य iii) का मॉडलः 25%
रेंजः 28.17%
औसत वार्षिक वृद्धिः8.24 %
औसत दशकीय औद्योगिक वृद्धिः 8%
सीवीडी ग्रोथ = (51065-16582)/(11 x 16582) X 100 = 18.90%

परिशिष्ट 7: (संदर्भ पैरा 1.17)
भुगतान अधिशेष- पेट्रोलियम उत्पाद

वर्ष	आयात मूल्य	निर्यात मूल्य	भुगतान अधिशेष ₹ करोड में
वि.व.01	71,496.52	8,645.47	-62851.05
वि.व.02	66,769.86	10,106.58	-56663.28
वि.व.03	85,367.00	12,469.22	-72897.78
वि.व.04	94,520.00	16,397.44	-78122.56
वि.व.05	134,094.00	31,404.15	-102689.85
वि.व.06	194,640.00	51,532.80	-143107.20
वि.व.07	258,571.76	84,520.15	-174051.61
वि.व.08	258,571.76	114,191.68	-144380.08
वि.व.09	419,945.62	123,397.91	-296547.71
वि.व.10	411,649.06	132,899.02	-278750.04
वि.व.11	482,281.69	188,778.97	-293502.72
वि.व.12(पी)	**742,762.47**	**265,818.71**	**-476943.76**

स्रोतः ईएक्सआईएम के आंकड़े, वाणिज्यिय, मंत्रालय, डीजीसीआईएस-कोलकाता

परिशिष्ट 8 (संदर्भ पैरा 1.17-व्यापार अधिशेष -सोना, चाँदी, जवाहरात और मोती, बहुमूल्य पत्थर इत्यादि

₹ लाख में

द1	वर्ष	आयात मूल्य (सोना, चांदी इत्यादि)	निर्यात मूल्य (सोना, चांदी इत्यादि) लाख में	व्यापार अधिशेष (कॉ 4 कॉ 3	कुल आयात (सभी उत्पाद)	कुल निर्यात (सभी उत्पाद)
1	वि.व.-03	5069572	4400225	-669347	29720587	25513718
2	वि.व -04	6504451	4945106	-1559344	35910766	29336675
3	वि.व -05	9338735	6486410	-2852325	50106454	37533953
4	वि.व -06	9160414	7020873	-2139541	66040890	45641788
5	वि.व -07	10224988	7278416	-2946572	84050613	57177929
6	वि.व -08	10645199	7976309	-2668890	101231169	65586352
7	वि.व -09	19701503	12882692	-6818811	137443555	84075506
8	वि.व -10	21824846	13814830	-8010017	136373555	84553364
9	वि.व -11	35039643	19890767	-15148876	168346696	114292192
10	वि.व -12	43459846	22629094	-20830752	234546324	146595940
	कुल	175429119	110825285	-64603834	1068290583	711209214

स्रोतः ईएक्सआईएम के आंकड़े, वाणिज्यिय, मंत्रालय, डीजीसीआईएस-कोलकाता

परिशिष्ट 9: (संदर्भ पैरा 1.17)

वर्ष	एफडीआई मिलियन अमेरिकी डॉलर	जीडीपी की प्रतिशतता के अनुसार
वि.व.01	5477.64	0.66
वि.व.02	5629.67	0.90
वि.व.03	4321.08	0.74
वि.व.04	5777.81	0.78
वि.व.05	7621.77	0.78
वि.व.06	20327.76	1.39
वि.व.07	25505.59	1.29
वि.व.08	43406.30	2.42
वि.व.09	35595.90	2.97
वि.व.10	24159.20	1.85
वि.व.11	31554.03	2.07

परिशिष्ट 10 (संदर्भ पैरा 1.17)

भारतीय मुद्रा का विनिमय दर अर्थात एसडीआर, यूएस डॉलर, पौंड स्टर्लिंग, डीएम/यूरो तथा जापानी येन (कैलेंडर वर्ष-वार्षिक औसत)

(विदेशी मुद्रा का रूपया प्रति इकाई)					
वर्ष	**एसडीआर**	**यूएस डालर**	**पौंड स्टर्लिंग**	**डच मार्क/यूरो**	**जापानी येन**
वि.व. 01	60.0782	47.1857	67.9826	42.2869	38.8674
वि.व. 02	62.9532	48.5993	73.0028	45.9261	38.8722
वि.व. 03	65.2192	46.5818	76.0974	52.6603	40.2047
वि.व. 04	67.1053	45.3165	82.9983	56.3259	41.8941
वि.व. 05	65.1404	44.1000	80.2530	54.8993	40.1020
वि.व. 06	66.6775	45.3070	83.5115	56.9279	38.9752
वि.व. 07	63.2756	41.3485	82.7218	56.6019	35.1348
वि.व. 08	68.6477	43.5049	80.1362	63.7403	42.3079
वि.व. 09	74.5880	48.4049	75.7282	67.3928	51.8119
वि.व. 10	69.7509	45.7262	70.6912	60.6683	52.1669
वि.व. 11	73.6424	46.6723	74.7736	64.8794	58.6244

टिप्पणीः 1) जापानी येन की विनियम दर 100 येन प्रति रूपये है।
2) 1 जनवरी,1999 से डचमार्क के स्थान पर यूरो

स्रोतः रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया

परिशिष्ट 11(संदर्भ पैरा 1.34)

औपचारिक अनुमोदनों की संख्या	579	
अधिसूचित सेजेज की सं. (17.01.2013 तक)	384 (579 में से) + (7 केंद्र सरकार 12 राज्य सरकार /निजी सेजेज)	
सैद्धान्तिक वैध अनुमोदनों की संख्या	49	
चालू सेजेज़ (30 सितम्बर 2012 तक)	160 (ब्रेक अपः 17 बहु उत्पाद सेजेज, शेष आईटी/आईटीज़, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर, टेक्सटाईल्स, बायोटेक्नॉलाजी, जवाहरात एवं आभूषण तथा अन्य क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र)	
सेजेज में अनुमोदित इकाइयाँ (30 सितम्बर 2012 तक)	3,622	
सेजेज़ के लिए भूमि	अधिसूचित सेजेज़	अधिसूचित सेजेज़ सहित औपचारिक रूप से अनुमोदित (एफए)
	45,378 हेक्टेयर	66,882 हेक्टेयर
	भूमि राज्य से संबंधित है, सेजेज़ के लिए संबंधित राज्य सरकारों के नीति और प्रक्रियाओं के अनुसार खरीदी जाती है।	
निवेश (30 सितम्बर 2012 तक)	वृद्धिशील निवेश	कुल निवेश
अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित सेजेज़	₹1,99,332.54 करोड़.	₹ 1,99,332.54 करोड़.
2006 से पूर्व स्थापित राज्य/निजी सेजेज़	₹ 6,487.52 करोड़.	₹ 8,243.83 करोड़.
केन्द्र सरकार सेजेज़	₹ 8,939.84 करोड़	₹ 11,219.04 करोड़
कुल		₹ 2,18,795.41 करोड़
रोजगार (31 सितम्बर 2012 तक)	वृद्धिशील रोजगार	कुल रोजगार
अधिनियम के तहत सेजेज़	6,44,000 व्यक्ति	6,44,000 व्यक्ति
2006 से पूर्व स्थापित राज्य/निजी सेजेज़	71,466 व्यक्ति	83,934 व्यक्ति
केन्द्र सरकार सेजेज़	95,820 व्यक्ति	2,18,056 व्यक्ति
कुल	8,11,286 व्यक्ति	9,45,990 व्यक्ति

स्रोतः डब्ल्यूडब्ल्यूडब्लू. एसईजेड इंडिया. एनआईसी.आईएन

परिशिष्ट 12 (संदर्भ पैरा 1.39)

सीमा शुल्क में नए सुविधा उपाय

1. आइसीई गेटः केन्द्रीय बोर्ड, उत्पाद एवं सीमा शुल्क आइसगेट (भारतीय सीमा शुल्क इडीआई गेटवे) का ई-वाणिज्य पोर्टल भारतीय सीमा शुल्क का एक ई-वाणिज्य पोर्टल है जो आईजीएम, ईजीएम, सीमाशुल्क भुगतान तथा फिरती वितरण हेतु इलेक्ट्रॉनिक संदेशो के माध्यम से इंट्री बिलों (आयात बिल घोषणा); जहाजरानी बिल (निर्यात बिल घोषणा); तथा सीमा शुल्क और अपने व्यापारिक भागीदारों के बीच ईटीआई की ई-फाइलिंग जैसी सेवाएँ प्रदान करता है।

भारतीय सीमाशुल्क ईडीआई प्रणाली (आईसीईएस)

2. भारतीय सीमाशुल्क ईडीआई प्रणाली (आइसेस 1.5) एक कार्यप्रवाह स्वचालन प्रणाली है जो कम्प्यूटर प्रणाली के माध्यम से आयात एवं निर्यात खेपों हेतु दस्तावेजों की मशीनीकृत प्रसंस्करण (पेपरलेस) की सुविधा प्रदान करती है। प्रणाली के अंतर्गत पेपरवर्क समाप्त करने, तीव्र कार्यवाही की सुविधा तथा पूरी प्रक्रिया को सरल बनाने, जिससे समय की भी बचत हो, के लिए कम्प्यूटर प्रणाली के माध्यम से दस्तावेजों को एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी तक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संचालित होते हैं।

3. भारतीय सीमाशुल्क ईडीआई प्रणाली (आइसेस) सीमाशुल्क गतिविधियों के बेहतर प्रबंधन की सुविधा हेतु राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी) द्वारा केन्द्रीय बोर्ड, उत्पाद एवं सीमा शुल्क (सीबीईएस) के लिए डिजाइन तथा विकासित किया गया है। इस विधा को देश में पेपरलेस व्यापार को बढ़ावा देने के विचार से बनाया गया है।

मान्यता प्राप्त ग्राहक कार्यक्रम (एसीपी)

4. एसीपी (मान्यता प्राप्त ग्राहक कार्यक्रम) जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) शुरू करने के लिए 2005 में बनाया गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य उन आयातकों को आश्वासित सुविधा प्रदान करना है, जो अच्छा रिकार्ड है और जो सही अनुपालन दर्शाते है। वर्तमान में, कुल मौजुदा आयातकों के 13% के बराबर लगभग 280 निर्यातक हैं। ग्राहकों द्वारा आयात पर सामान्य शुल्क निर्धारण तथा माल की जाँच से छूट प्राप्त है। वर्तमान में, कार्यक्रम के कार्य-क्षेत्र का विदेशी नीति के तहत स्टेटस होल्डर्स, स्टार ट्रेडिंग हाउसेस को एसीपी स्थिति की मंजूरी के लिए पात्र श्रेणी के अनुसार मान्यता देकर विस्तार किया जा रहा है, आश्वासित सुविधा को स्वनिर्धारण पर कुछ लागत लाभ विश्लेषण वाले सभी आयातकों तक विस्तारित करने की आवश्यकता है।

प्राधिकृत आर्थिक प्रचालक

5. प्राधिकृत आर्थिक प्रचालक (एईओ) कार्यक्रम 2005 में सुरक्षित एफओएस (मानक की रूपरेखा) के स्वीकरण के विश्व सीमाशुल्क संगठन (डब्ल्यूसीओ) के

दिशानिर्देशों के आधार पर विकसित किया गया है। भारतीय एईओ कार्यक्रम का अगस्त 2011 में सीबीईसी द्वारा शुभांरभ किया गया है और डीजीआईसीसीई को कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए नोडल कार्यालय नामित किया गया है। एडीजी (डीजीआईसीसीई) एचडब्ल्यूक्यू दिल्ली कार्यक्रम का कार्यान्वयन प्रबंधक है। यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त गुणवत्ता चिह्न के साथ व्यवसाय प्रदान करता है जो उनके अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला में सुरक्षित भूमिका पद्धितियों की दक्षता और रिकार्ड कीपिंग एवं उनके आज्ञाकारी प्रकृति का सूचक है।

इसलिए एईओ स्तर प्राप्त संस्था को दिशानिर्देशों के अनुसार भारतीय सीमा-शुल्क विभाग द्वारा विश्वसनीय व्यापारिक भागीदार और सुरक्षित व्यापारी माना जाता है। आयातक, निर्यातक, कस्टम हाउस एजेंट आदि जैसे आर्थिक प्रचालकों के लिए एईओ कार्यक्रम की विभिन्न श्रेणियाँ है।

एईओ ग्राहको को दिये गये लाभः

(क) आयातकः

I. जैसी एसीपी ग्राहकों को उपलब्ध कराई जाती है वैसी कम परीक्षण और निरीक्षण की उच्च सुविधा।
II. पूर्व आगमन आयात घोषणा की स्वीकृति।
III. घटी हुई बैक गारन्टी जोकि बान्ड राशि के 5 प्रतिशत से अधिक नही होगी।

(ख) निर्यातक

I. जमीनी जांच का कम प्रतिशत
II. सीमा-शुल्क क्षेत्र में माल को लाये बिना निर्यात घोषणा की स्वीकृति।

(ग) गोदाम मालिकः

I. नये गोदाम के लिए जल्द मंजूरी;
II. घटी हुई बैक गारन्टी जोकि बान्ड राशि के 5 प्रतिशत से अधिक नही होगी।
III. कम लेखापरीक्षा।

(घ) कस्टम हाउस एजेंट्सः

I. जब तक एईओ प्राधिकार वैद्य रहे 2009 का नियमों के तहत जारी लाइसेंसो की वैद्यता की अवधि में वृद्धि का लाभ।
II. नवीकरण शुल्क से छूट
III. आयातक ग्राहकों के लिए पूर्व-आगमन आयात घोषणाओं की स्वीकृति।

(ड.) संचालन प्रबंधन (वाहक/अग्रेषक)

I. मामले की अनुमति से मामले की बिना माल का पारगमन;
II. सीमा-शुल्क अनुरक्षक के बिना माल का पारगमन।
III. एक ही चालू बान्ड के निष्पादन को सुविधा माल आयात नियमावली 1995 के तहत माल के परिवहन के मामले में बैक गारन्टी न लेने को लाभ

स्व-मूल्यांकन

6. वित्तीय अधिनियम, 2011 के अनुसार आयातकों या निर्यातकों द्वारा सीमा शुल्क का स्व-मूल्यांकन प्रारम्भ किया गया था। यह विभागीय अधिकारियों द्वारा आंकलन से विश्वास पर आधारित स्व-मूल्यांकन प्रणाली की ओर मुड़ने की मिसाल है। उद्देश्य आयातित/निर्यात माल की शीघ्र निकासी है। सही घोषणा और शुल्क भुगतान सुनिश्चित करने के संदर्भ में राजस्व के हित को इलैक्ट्रॉनिक जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) द्वारा सुनिश्चित किया जाता है जोकि आंकलन या परीक्षण या दोनों के लिए जोखिम पूर्ण खेप की पहचान करता है। यह आयातक या निर्यातक के परिसर में विस्तृत लेखापरीक्षा द्वारा समर्थित होता है। अगले 6 महीनों में वर्तमान से 60%, 50% और 40% से 80%, 70% और 60% क्रमशः वायु, समुद्र और अंतर्देशीय कंटेनर डिपो के माध्यम से आयातित माल के सरलीकरण स्तर बढ़ाने का निर्णय स्व-मूल्यांकन करने का तात्कालिक परिणाम है। इस प्रकार, साधारणतः अधिकांश आयातित माल को बिना सीमा-शुल्क विभाग के हस्तक्षेप के निकासी की अनुमति होगी। स्व-मूल्यांकन मुख्य व्यापार का वह सरल उपाय है जिसका परिणाम सीमाशुल्क और संबंधित लेन-देन लागत के माध्यम से आयातित/निर्यात माल की निकासी के लिए, लिए गए समय में महत्वपूर्ण कमी होगा।

निकासी के बाद स्थल पर लेखापरीक्षा (ओएसपीसीए) योजना

7. वित्तीय अधिनियम, 2011 के अनुसार शुरू किए गए कानूनी प्रावधानों के अनुसार सीमा-शुल्क के अंतर्गत पंजीकृत आयातकों के मामले में "स्थल पर निकासी के बाद लेखापरीक्षा " की योजना 1 अक्टूबर, 2011 से कार्यान्वित है। ओएसपीसीए की शुरूआत के बाद, एक ओर सीमाशुल्क विभाग ने एसीपी ग्राहकों की लेखापरीक्षा प्रभावी रूप से रोक दी, जबकि दूसरी ओर ओएसपीसीए योजना में तेजी नहीं आई है। हमने पाया कि वित्तीय वर्ष 12 के दौरान, 260 एसीपी ग्राहकों में से केवल 51 की लेखापरीक्षा की गई। आयात के अवनिर्धारण के मामले में इससे राजस्व की हानि हो सकती है।

जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस)

8. आरएमएस, इलैक्ट्रोनिक प्रणाली पूर्व परिभाषित जोखिम मानदंडों के आधार पर आयात उन घोषणाओं (माल) को रोकती है जो आंकलन या परीक्षण या दोनों के अध्यधीन हैं। अन्य घोषणाओं (माल) को आंकलन और परीक्षण के बिना निकासी की अनुमति है। आरएमएस (आरएमएस 3.1) का वर्तमान स्वरूप जो आईसीईएस 1.5 के अनुकूल है का 04 जून, 2010 को शुभारंभ किया गया और यह व्यापार को निम्नलिखित लाभ देता हैः

क. स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहन;
ख. विचार करने के समय में कमी;

ग. लेन-देन की लागत में कमी; और

घ. समय पर प्रचालन में आसानी और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में सुधार।

व्यापक आधार पर आरएमएस के लिए वायु, समुद्र और भूमि बंदरगाहों को शामिल करना महत्वपूर्ण है और वर्तमान स्तर की तकनीकी द्वारा प्राप्य है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रणाली का उल्लंघन करने का कार्यप्रणाली का शुरू से ही ध्यान रख सकता है।

4% एसएडी का प्रतिदाय

9. 4% एसएडी प्रतिदाय और शीघ्र स्वीकृति के लिए, सामान्य रूप से लागू प्रक्रिया और विशेष रूप से एसीपी आयातकों के लिए 30 दिन के निश्चित समय के अंदर पूर्व-लेखापरीक्षा के बिना प्रतिदाय की स्वीकृति को सरल कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त ऐसे शेयरों के मैनुअल पंजीकरण अनुमति द्वारा डीईपीबी/प्रतिफल प्रक्रिया जैसे विभिन्न शेयरों के माध्यम से 4% एसएडी के प्रतिमाप वापसी के उपयोग को शिथिल कर दिया है।

लेन-देन मूल्यांकन विधियां

10. डब्ल्यूटीओ मूल्यांकन समझौते पर आधारित सीमा-शुल्क मूल्यांकन (आयातित माल के मूल्य का निर्धारण) अधिनियम 2007, में मूल्यांकन की छः विधियां देने वाला नियम है जो अंतः आउटलायर्स को उजागर करने के लिए बना है।

सीमाशुल्क विधियों के लिए मूल्यांकन विधियाँ निम्नलिखित प्रकार की हैं:

क. आयातित माल का लेन-देन मूल्य।

ख. अभिन्न माल का लेन-देन मूल्य।

ग. समान माल का लेन-देन मूल्य।

घ. भारत में बिके अभिन्न या समान आयातित माल पर आधारित निगमनात्मक मूल्य।

ड. परिकलित मूल्य जो लाभों और माल के उत्पादन की लागत पर आधारित है।

च. उपलब्ध डाटा और औचित्यपूर्ण संसाधनों पर आधारित अवशिष्ट विधि।

परिशिष्ट 13: महानिदेशक सुरक्षा उपाय द्वारा की गई जाँचें (संदर्भ पैराग्राफ 1.55)

वर्ष	वि.व 01	वि.व 02	वि.व 03	वि.व 04	वि.व 05	वि.व 06	वि.व 07	वि.व 08	वि.व 09	वि.व 10	वि.व 11	वि.व 12	कुल
मामलों की संख्या	2	3	1	1	0	0	0	1	4	2	1	4	19
सक्रिय एसजीज़ की संख्या									1		1	4	6

₹ करोड में

परिशिष्ट 14 : डीआरआई (योजना-वार) द्वारा खोजे गए शुल्क-अपवंचन के मामले (संदर्भ पैराग्राफ 1.59)

	योजना	वि.व.08		वि.व.09		वि.व.10		वि.व.11		वि.व.12	
		मामलों की संख्या	शुल्क	मामलों की संख्या	शुल्क	मामलों की संख्या	शुल्क	मामलों की संख्या	शुल्क	मामलों की संख्या	शुल्क
1	अवमूल्यांकन	207	192.6	144	509.33	105	166.18	197	132.12	186	496.2
2	गलत घोषणा	63	31.26	66	100.76	100	215.24	91	110.19	129	61.93
3	डीईईसी/अग्रिम लाइसेंस का गलत उपयोग	10	93.14	5	22.71	10	5.66	18	264.62	1	0.1
4	डीईपीबी का गलत उपयोग	9	16.2	12	7.6	21	7.4	34	3.8	26	23.93
5	ईपीसीजी का गलत उपयोग	1	3.65	23	67.2	3	0.9	10	3.33	6	25.72
6	ईओयू/ईपीज़ेड/ एसईजेड का गलत उपयोग	6	83.35	7	34.75	9	3.28	4	0.04	6	9.66
7	अंतिम-उपयोग और अन्य अधिसूचना का गलत उपयोग	29	84.44	17	145.16	15	24.6	26	100.55	56	309.2
8	फिरती	37	12.82	7	21.8	38	91.76	102	81.42	13	25.93
9	अन्य	72	209	59	619.28	90	100.21	99	130.4	104	88.85
	कुल	434	726. 46	340	1528.59	391	615.23	581	826.47	527	1841.52

परिशिष्ट 15 : विशिष्ट पदार्थों की जब्ती (संदर्भ पैराग्राफ 1.60)

(आंकड़े ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पदार्थ	वि.व.07		वि.व.08		वि.व.09		वि.व.10		वि.व.11	
		पूरा भारत	डीआर आई	पूरा भारत	डीआर आई	पूरा भारत	डीआर आई	पूरा भारत	डीआर आई	पूरा भारत	डीआर आई
I	सोना	2.44	0.28	2.99	0.59	5.39	2.50	27.46	13.95	9.34	25
II	विदेशी मुद्रा	14.02	0.8	11.16	0.01	8.32	1.09	3.79	0.39	3.83	1.36
III	नशीली दवाईयां	62	16.35	65.32	12.1	64.69	14.11	116.23	37.52	58.33	16.72
IV	बिजली का सामान	30.36	6.36	64.71	22.1	31.69	14.12	120.03	13.94	167.04	21.49
V	कम्प्यूटर/उसके पार्टस	32.04	5.92	6.92	1.55	127.4	117.6	15.95	7.28	5.29	2.26
VI	कपडे/रेशमी धागे आदि	12.05	11.1	193.1	30.1	435.14	19.2	71.95	30.74	187.7	36.45
VII	बीयरिंग	1.25	0	0.39	0.38	0.64	0	0.66	0	0.14	0
VIII	हीरे	17.36	6.12	12.26	1.83	9.09	3.85	13.83	7.77	11.52	1
IX	भारतीय मुद्रा	40.19	31.37	1.65	0.34	4.3	1.67	3.95	2.06	2.11	1.16
X	घड़ियां/उनके हिस्से	4.43	3.27	2.47	0.53	2.07	0.35	0.82	0	4.31	3.06
XI	मशीने/उनके हिस्से	48.41	33.47	230	176	86.51	78.51	480.2	9.58	249.76	106.61
XII	वाहन/पोत/वायुयान	42.32	16.81	41.05	22.3	72.04	10.63	69.98	39.78	24.89	1.13
XIII	भारतीय जाली मुद्रा	1.59	1.42	1.5	1.55	2	1.87	0.65	0.55	1.81	1.5
XIV	विविध/अन्य	380.7	244.1	387.6	366	707.52	480.89	1231	516.61	1749.63	620.27
	जोड़	689.16	377.40	1021.00	635.00	1556.80	746.39	2156.50	680.17	2475.70	813.26

परिशिष्ट 16 (संदर्भ पैराग्राफ 1.77)

वित्त वर्ष 02 से वित्त वर्ष 12 की समयावधि के दौरान की गई निष्पादन समीक्षाएं

1. भारतीय सीमा शुल्क इलैक्ट्रानिक डॉटा आदान-प्रदान प्रणालियां (आईसीईएस)
2. विदेशी विनिमय की गैर उगाही
3. आमाप जब्त और विस्तृत माल का निपटान न होना/निपटारे में देरी
4. सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 (1) के अंतर्गत जारी अंतिम प्रयोग छूट अधिसूचना
5. सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क (एसटीपी) योजना
6. अंतर्देशीय सीमाशुल्क प्रतिबंधित (सार्वजनिक/निजी) गोदाम की कार्यप्रणाली
7. आयात सामान्य माल सूची (आईजीएम)/निर्यात सामान्य माल सूची (ईजीएम)
8. अंतर्देशीय कंटेनर डिपो
9. राजस्व के बकाया की वसूली
10. अंतरिम निर्धारण (मूल्यांकन)
11. अग्रिम लाईसेंसिंग योजना/शूल्क छूट हकदारी प्रमाणपत्र (डीईईसी)
12. शत प्रतिशत निर्यात उन्मुख इकाईयां (ईओयूज़)
13. अधिनिर्णित और अपील मामलें
14. प्रोत्साहन उपाय
15. टारगेर प्लस योजना
16 .विशिष्ट आर्थिक जोन (एसईजेडज़)
17. भारतीय सीमा शुल्क इलैक्ट्रानिक डॉटा आदान-प्रदान प्रणालियां (आईसीईएस)
18. परियोजना आयात
19. प्राकृतिक या संवर्धित मोती, बुहमूल्य या अर्ध-बहुमूल्य रत्न, बहुमूल्य धातुएँ, बहुमूल्य धातु से सजी धातुएं और वैसे ही वस्तुएं, नकली आभूषण, सिक्के (अ. 71 से सीटीएच)
20. शुल्क फिरती योजना
21. निर्यात प्रोत्साहन पूंजीगत माल योजना
22. एसटीपी/ईएचटीपी इकाईयों को डिम्ड निर्यात और केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) की प्रतिपूर्ति